अध्याय 7: स्मारक प्रबंधन

हमारे स्मारक और पुरातात्विक स्थल सीमित और हमारे गैर-नवीकरणीय सांस्कृतिक संसाधन हैं। भारत की विरासत के समृद्ध भंडार में विश्व विरासत स्थल और राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारक शामिल हैं। एएसआई की प्रमुख जिम्मेदारी इन केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों/स्थलों का संरक्षण कार्य है जो एक सतत् प्रक्रिया है।

7.1 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का प्रबंधन

लेखापरीक्षा ने विश्व विरासत स्थलों, *आदर्श स्मारक*, टिकट वाले स्मारकों, जीवंत स्मारकों आदि के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की जांच की। इस संबंध में, सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता और अन्य सेवा संबंधी मुद्दों का आंकलन करने के लिए 184 चयनित स्मारकों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। इन आंकलनों के परिणामों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

7.1.1 विश्व विरासत स्थल

यूनेस्को एक विशिष्ट स्मारक को विश्व विरासत स्थल (डब्ल्यूएचएस) के रूप में नामित करता है। प्रशस्ति पत्र किसी भी देश के लिए प्रतिष्ठित है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। भारत में 40 डब्ल्यूएचएस (32 सांस्कृतिक, सात प्राकृतिक और एक मिश्रित) हैं, जिसमें से 24 एएसआई (जून 2021) के क्षेत्राधिकार में हैं।

पिछले प्रतिवेदन में, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के बाद, यह बताया गया था कि डब्ल्यूएचएस को सुरक्षा, सार्वजनिक सुविधाओं, अतिक्रमण आदि से संबंधित कई मुद्दों का सामना करना पड़ा था। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान किए गए एक समान अभ्यास से पता चला कि 12 डब्ल्यूएचएस में, कुछ सार्वजनिक सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं थीं। जैसा कि **अनुलग्नक 7.1** में बताया गया है, सार्वजनिक सुविधाओं के अलावा, दुभाषिया/गाइड या ऑडियो गाइड सेवाएं भी उपलब्ध नहीं थीं।

स्मारकों और स्थल-संग्रहालयों के बारे में सूचनात्मक सामग्री प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन के विकास के संबंध में संसद की स्थायी समिति (मार्च 2021) द्वारा की गई सिफारिश के जवाब में, एएसआई ने कहा (दिसंबर 2021) कि इसका विकास प्रक्रियाधीन था।

यद्यपि मंत्रालय द्वारा डब्ल्यूएचएस की निधि, सुरक्षा और संरक्षण आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक अलग तंत्र विकसित करने के संबंध में पिछले प्रतिवेदन में की गई लेखापरीक्षा सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था, फिर भी ऐसी कोई प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं पाई गई थी।

विश्व विरासत स्थल-लाल किला, दिल्ली

लाल किला, दिल्ली के संबंध में पिछले प्रतिवेदन में उजागर विचारणीय मुद्दो का एएसआई द्वारा समाधान किया जाना बाकी था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- स्मारक के कुछ हिस्सों जैसे मुमताज महल, शाह बुर्ज को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है।
- स्मारक के कुछ हिस्सों का अभी भी, सीआईएसएफ निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा अपने कार्यालय/आवास के लिए उपयोग किया जा रहा था।
- एएसआई का प्रकाशन प्रभाग भण्डार, अभी भी औपनिवेशिक भवनों में स्मारक से काम कर रही थी।
- स्मारक के अंदर बने मंदिर, मजार को अभी भी अतिक्रमण के लिए रिपोर्ट किए गए स्मारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया था।
- लाल किले के परिसर में प्रवेश करने/बाहर जाने वाले वाहनों की सुरक्षा जांच के लिए अभी भी कोई व्यवस्था नहीं थी।

विश्व विरासत स्थल-सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, सूर्य मंदिर, कोणार्क के दौरे से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- शौचालय ब्लॉक, विकलांगों के लिए सुविधाएं, पार्किंग, क्लोक रूम की सुविधा, दुभाषिया जैसी कुछ सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।
- स्मारक के प्रवेश द्वार पर अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण हैं जिन्हें बाद में एएसआई (जनवरी 2022) द्वारा हटाए जाने की सूचना दी गई थी।
- संरचना पर फफूंदी/वनस्पति वृद्धि और दाग हो गए जिसे रासायनिक उपचार की आवश्यकता है। एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि स्मारक की सफाई एक नियमित प्रक्रिया थी जो विज्ञान शाखा द्वारा की गई थी।
- *1939* में एएसआई द्वारा अपने अधिकार में लेने से पहले सूर्य मंदिर के *गर्भगृह* को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था।
- स्मारक में लगे सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे।

पिछली लेखापरीक्षा के दौरान, कर्नाटक में हम्पी और पट्टाडकल में डब्ल्यूएचएस के संबंध में, अपूर्ण संरक्षण कार्यों, अतिक्रमणों, आगंतुकों के लिए बुनियादी सुविधाओं के अभाव आदि से संबंधित विभिन्न अभ्युक्तियां की गई थीं। इन स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि संरक्षण पर खर्च करने के बावजूद, इन स्मारकों[52] में अभी भी कमियां मौजूद थीं।

मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी 2022) कि कुछ डब्ल्यूएचएस को *आदर्श स्मारक* के रूप में भी माना गया है और इन स्मारकों पर आगंतुकों की सुविधा प्रदान/उन्नयन करना एक नियमित घटना है। यह भी सूचित किया गया कि कुछ डब्ल्यूएचएस के लिए इसने पर्यटन मंत्रालय की 'एक विरासत अपनाएं' के तहत समझौता किया था और डब्ल्यूएचएस की निधि, सुरक्षा और संरक्षण आवश्यकताओं के लिए एक अलग तंत्र विकसित किया जा रहा था।

7.1.2 *आदर्श स्मारक और टिकट वाले स्मारक*

पीएसी ने सिफारिश की थी कि एएसआई द्वारा बनाए गए सभी स्मारकों और स्थलों में आगंतुकों के लाभ के लिए स्वच्छ और आधुनिक शौचालय, भोजनालय, चिकित्सा दुकानें और उनके परिसर में और आसपास अन्य सुविधाएं होनी चाहिए।

एएसआई ने शौचालय, स्वच्छ पेयजल, वाई-फाई सेवाएं, कैफेटेरिया, दिव्यागंजनों हेतु सुविधाएं, साइनेज, क्लोक रूम, व्याख्या केंद्र इत्यादि[54] जैसी सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए मार्च 2018 (डब्ल्यूएचएस, टिकट[53] और गैर-टिकटिंग स्मारकों सहित) *आदर्श स्मारक* के रूप में 100 स्मारकों को आदर्श स्मारक बनाने की घोषणा की थी। 36 *आदर्श स्मारकों* के संयुक्त भौतिक निरीक्षण ने अन्य टिकट वाले स्मारकों में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं और सुविधाओं के अभाव को उजागर किया। पेयजल, शौचालय ब्लॉक, पार्किंग, वाई-फाई, क्लोक रूम, विकलांगों के लिए

[52] कृष्ण मंदिर परिसर, पुराना शिव मंदिर, सरस्वती मंदिर, भूमिगत शिव मंदिर, अष्टकोणीय स्नान, विरुपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर परिसर अनंतशयन मंदिर, पट्टाभि राम मंदिर, रघुनाथ मंदिर, कमल महल, चंद्रशेखर मंदिर, हजारा राम मंदिर (सभी हम्पी में) और 10 पट्टाडकल में स्मारक

[54] योजना दिसंबर 2014 में 25 स्मारकों के साथ शुरू की गई थी और इसके दूसरे चरण में 75 स्मारक जोड़े गए थे।

[53] 143 टिकट स्मारकों में से 54 को स्मारक की सूची में शामिल किया गया है।

सुविधाएं, गाइड सेवाएं इत्यादि। परिमंडल/राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक 7.1** में दिया गया है।

मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी 2022) कि उसने *आदर्श स्मारक* पर पहुँच मार्ग, साइनेज, पुरूष शौचालय, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल की हैं और ये सुविधाएं 82 *प्रतिशत* से अधिक ऐसे स्मारकों में उपलब्ध हैं। हालांकि, ऐसे स्मारकों के 56 प्रतिशत से भी कम में व्हील चेयर, *दिव्यांगजनों* के लिए शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, पार्किंग उपलब्ध थे।

टिकट वाले स्मारक-सुल्तान गढ़ी, दिल्ली

सुल्तान गढ़ी, दिल्ली को एएसआई द्वारा एक टिकट वाले स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया था। एक यात्रा के दौरान, यह देखा गया कि स्मारक में आगंतुकों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। जैसे पीने का पानी, शौचालय, सांस्कृतिक संकेत, अलमारी, वाई-फाई और बिजली। दिव्यांगजनों के लिए कोई रास्ता या पार्किंग या सुविधाएं नहीं थीं। स्मारक क्षेत्र का उपयोग शौच के लिए किया जा रहा था। इसमें कई प्रवेश/निकास बिंदु थे, और इसकी चारदीवारी के टूटने के साथ, स्मारक सुरक्षित नहीं था। कर्मचारी स्मारक क्षेत्र के सीमांकन से अनजान थे। स्मारक में कोई बागवानी गतिविधि नहीं की गई थी। नीति आयोग (2020) के लिए किए गए एक अध्ययन में, स्मारक को सबसे खराब टिकट वाले स्मारक के रूप में करार दिया गया था। टिकट वाले स्मारक होने से, एएसआई को *सुल्तान गढ़ी* में आगंतुकों की सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।

7.1.3 अन्य स्मारक

मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया था कि विभिन्न श्रेणी/प्रकार के स्मारकों के परिरक्षण/संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं थी। उन्होंने बताया कि स्मारकों के संरक्षण का कार्य फील्ड अधिकारियों द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर किया गया। विभिन्न प्रकार के स्मारक जैसे जीवंत स्मारकों, *बाओलियाँ,* पाषाण-आलेखों पर पिछली रिपोर्ट में चर्चा की गई और पीएसी द्वारा की गई प्रासंगिक सिफारिशों को अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पुनरीक्षण किया गया था। इस संबंध में निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है और **अनुलग्नक 7.1** में भी इसका विवरण है।

7.1.3.1 जीवंत स्मारक: जॉन मार्शल की मैनुअल ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार, अभी भी वे संरचनाएं जिन्हें जिस उद्देश्य के लिए अधिसूचना के समय डिजाइन किया

गया था, उसके लिए अभी भी उपयोग में हैं वे संरचनाएं जीवंत स्मारक कहलाते हैं। एएमएएसआर अधिनियम, 1958 में सरकार को इन जीवंत स्मारकों के रखरखाव और उन्हें नष्ट करने, हटाने, बदलने या विकृत करने पर प्रतिबंध के लिए इन जीवंत स्मारकों के मालिक के साथ एक समझौता करने की भी आवश्यकता है।

पीएसी ने इन जीवंत स्मारकों के सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता पर विचार करते हुए निम्नलिखित की आवश्यकता महसूस की:

- *जीवंत स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उनके उपयोग पर दिशानिर्देश विकसित करना;*
- *विवादित स्वामित्व या अतिक्रमण वाले स्थलों की अधिसूचना के लिए निर्धारित नीति; तथा*
- *स्मारक की अखंडता को बनाए रखने के लिए उक्त दिशानिर्देशों के आधार पर उपयोगकर्ताओं/रहने वालों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें।*

पीएसी की सिफारिशों के बावजूद, एएसआई द्वारा जीवंत स्मारकों पर कोई दिशानिर्देश या नीति दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। एएसआई ने पूजा और प्रार्थना के लिए इस्तेमाल होने वाले 955 स्मारकों की पहचान की थी। हालांकि, जैसा कि पिछली रिपोर्ट में बताया गया था, एएसआई के पास उन स्मारकों का विवरण नहीं था जहां अधिसूचना जारी होने से पहले/बाद में प्रार्थना/पूजा आरम्भ की गई थी। इसके अलावा, एएसआई/मंत्रालय ने 2013-20 की अवधि के दौरान जीवंत स्मारकों के उपयोगकर्ताओं/रहने वालों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में इसके द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण प्रदान नहीं किया।

दिल्ली सर्किल में, जीवंत स्मारकों[55] के रूप में बताए गए सभी तीन स्मारकों पर अतिक्रमण पाया गया। कोलकाता सर्किल में, एक जीवंत स्मारक (सेंट जॉन्स चर्च) को चर्च अधिकारियों द्वारा नियंत्रित/रखरखाव किया जा रहा था और एएसआई को नहीं सौंपा गया था। इसके अलावा, दिल्ली, औरंगाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, धारवाड़ और कोलकाता सर्किल में, धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्मारकों

[55] सुनहरी मस्जिद, पालम मस्जिद, नीली मस्जिद

की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे शौचालय, कमरे का निर्माण, आधुनिक फिटिंग, पेंट आदि गया पाया गया। स्मारकों में किए गए इन परिवर्तनों में से कुछ को नीचे दर्शाया गया है:

पालम मस्जिद, दिल्ली में बने आधुनिक निर्माण	**दुबडी मठ, सिक्किम में प्रयुक्त प्लाई बोर्ड और मूल भित्ति चित्र**
घृष्णेश्वर मंदिर, एलोरा की दीवारों पर प्रयुक्त पेंट	**जोड गुंबज, विजयपुरा में सफेद और हरे रंग में रंगा स्मारक**

दुबडी मठ, सिक्किम के संबंध में, सर्किल कार्यालय ने कहा कि संबंधित स्मारक के लिए भिक्षु समिति ने सहयोग नहीं किया और विशेषज्ञ सलाह के बिना अपने आप पर काम किया। हालांकि एनपीसी-एएमएएसआर जीवंत स्मारकों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका को स्वीकार करता है, लेकिन यह स्मारक की संरचना/बनावट में किसी भी तरह के बदलाव को भी प्रतिबंधित करता है।

मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी 2022) कि सशक्त प्रयासों के अलावा, किसी भी स्मारक में धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं थी, जहां इसकी केंद्रीय सुरक्षा के समय यह अभ्यास में नहीं था या अगर काफी पहले ही मंद थी। हालांकि एएसआई ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध का जवाब नहीं दिया (ए) स्मारकों के विवरण की

अनुपस्थिति जहां अधिसूचना जारी होने से पहले/बाद में प्रार्थना/पूजा शुरू की गई थी; (बी) जीवंत स्मारकों के लिए दिशानिर्देश या नीति दस्तावेज तैयार न करना; (सी) प्रयासों की अनुपस्थिति जीवंत स्मारकों के उपयोगकर्ताओं/रहने वालों के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करना; और (डी) इन स्मारकों में किए गए परिवर्तन।

7.1.3.2 *बाओलियां:* एएसआई ने संसद को एक जवाब (अगस्त 2010) में सूचित किया था कि दिल्ली सर्किल में, पंद्रह जल निकाय (बाओली) इसके अधिकार क्षेत्र में थे, जिनमें से दो सूखे थे और अन्य 13 साफ थे। इन जल निकायों का रखरखाव एएसआई द्वारा सीपीएम के हिस्से के रूप में जनता के देखने के लिए किया जा रहा था। *पीएसी ने इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए मंत्रालय/एएसआई को विशिष्ट रूप से दिल्ली क्षेत्र में बाओली की देखभाल करने के लिए कहा था।* अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि इन *बाओलियां* की स्थिति बिगड़ती गई। एएसआई ने बताया (जनवरी 2021) कि 13 गीली *बाओलियां* में से दस गंदी हो गई थीं। मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी 2022) कि कोविड-19 लॉकडाउन ने संरक्षण कार्यों में बाधा उत्पन्न की थी जिसे आगामी वित्तीय वर्ष से शुरू किया जाएगा।

अग्रसेन की बाओली

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, यह बताया गया था कि एएसआई ने *अग्रसेन की बाओली,* दिल्ली के रखरखाव के लिए ग्लोबल वैश्य संगठन (जीवीओ) के साथ समझौता ज्ञापन (2009 में) पर हस्ताक्षर किए थे। इस संबंध में, एएसआई की परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) को परिभाषित करने के लिए कार्य का दायरा और अनुसूची गठित नहीं की गई थी। इसके अलावा, समझौता ज्ञापन में सहमति कार्यों जैसे स्मारक का रखरखाव, प्रकाशनों का मुद्रण और वितरण आदि जीवीओ द्वारा नहीं किया गया था। इसके बजाय, संरक्षित क्षेत्र में एक अनधिकृत पोर्टा केबिन स्मारक जीवीओ द्वारा अपने कार्यालय के रूप में उपयोग के लिए स्थापित किया गया था। समझौता ज्ञापन को जनवरी 2011 (पांच साल के लिए), नवंबर 2017 और नवंबर 2019 (प्रत्येक दो साल के लिए) में एएसआई द्वारा नवीनीकृत किया गया था।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि पीआईसी का गठन अभी भी नहीं किया गया था। समझौते के बावजूद, जीवीओ द्वारा सुविधाएं जैसे पेयजल, महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय आदि उपलब्ध नहीं किए गए थे। इसके अलावा, समझौते की शर्तों के अनुसार, पोर्टा केबिन को प्रकाशन बिक्री काउंटर और

क्लोक रूम में परिवर्तित नहीं किया गया था और अभी भी जीवीओ द्वारा अपने कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाता था। अतिक्रमण को हटाने के बजाय, एएसआई ने जीवीओ के साथ समझौते का विस्तार करना जारी रखा।

7.1.3.3 रॉक एडिक्ट्स: ये राजा अशोक के संदेशों वाले पत्थरों पर खुदे हुए शिलालेख हैं। *पीएसी ने नोट किया कि रॉक एडिक्ट्स के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं थी। इसने एएसआई को उनके संरक्षण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करने की सिफारिश की क्योंकि उनका पूर्वकालीन मूल्य है और हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के ऐतिहासिक मूल्यांकन में एक निश्चित युग का चित्रण करते हैं।* उदयगोलम और नित्तूर (हंपी सर्किल) में अशोक रॉक एडिक्ट के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि दोनों स्थलों में उचित पहुंच सड़कों और सीमांकित संरक्षित क्षेत्र की कमी थी। इसके अलावा, इन स्थलों के आगंतुकों के लाभ के लिए रॉक शिलालेखों का अनुवाद भी उपलब्ध नहीं था। इसी तरह, दिल्ली सर्किल में अशोक रॉक एडिक्ट स्मारक में सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव और अतिक्रमण देखा गया था।

सलीमगढ़ किला लाल किला परिसर के आसपास के क्षेत्र में एक और स्मारक है। 1546 में (लाल किले से पहले) निर्मित किले को औरंगजेब (अपने भाई *मुराद बख्श* और बेटी *जेबुन्निसा* को बंदी बनाकर) की अवधि के दौरान एक जेल में बदल दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान, सलीमगढ़ किले का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए किया गया था। इसके अलावा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, इसे मेजर जनरल शाह नवाज खान, मेजर *गुरबख्श सिंह ढिल्लों* और कैप्टन *प्रेम कुमार सहगल* सहित भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों को कैद करने के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

सलीमगढ़ किले के दौरे के दौरान यह देखा गया कि स्मारक के अंदर बनी जेल एक उपेक्षित अवस्था में पड़ी थी। दीवारों पर दरारें और रिसाव था और इसे अपने

विरासत मूल्य के अनुसार उपयुक्त देखभाल और सुरक्षा नहीं मिल रही थी। मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी 2022) कि स्मारक को वार्षिक संरक्षण योजना (2021-22) में शामिल किया गया था और कार्य निष्पादन किया जाएगा।

स्रोत: एएसआई द्वारा प्रकाशित सलीमगढ़ किले पर प्रचार सामग्री

7.1.3.4 *कोस-मीनार*: *कोस-मीनार*[56] मध्यकालीन अवसंरचना (खंभे) हैं जिनका निर्माण राजमार्गों पर यात्रा और संचार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में किया गया है। पिछले प्रतिवेदन में, यह उल्लेख किया गया था कि एएसआई ने स्मारकों की एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में *कोस-मीनार* का कभी शोध और विश्लेषण नहीं किया था। *कोस-मीनार* के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान (दिल्ली और हरियाणा सर्किलों में) यह पाया गया कि *कोस-मीनार* के संरक्षण के लिए कोई विशेष योजना नहीं थी। घरुंडा, (दक्षिण करनाल), हरियाणा में *कोस-मीनार* के संबंध में, पिछली लेखापरीक्षा में कवर किए गए अवधि (2007) के बाद स्मारक की मरम्मत पर कोई खर्च नहीं किया गया था। दौरे के दौरान, एएसआई अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि इन स्मारकों को संरक्षण के लिए रासायनिक उपचार की आवश्यकता थी।

चयनित स्मारकों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में आगंतुकों को सुविधाएं प्रदान करने में कई कमियां सामने आईं। कुछ स्मारकों में पानी की अनुपलब्धता के कारण नवनिर्मित शौचालय ब्लॉक गैर-कार्यात्मक (जनवरी 2021) पाए गए। इसके अलावा, कुछ स्मारकों पर तो पूरी तरह से अतिक्रमण कर किया गया था या उपेक्षित अवस्था में थे या उनके कुछ हिस्सों को सक्षम प्राधिकारी अर्थात महानिदेशक, एएसआई (*अनुलग्नक 7.1 का संदर्भ लें*) के अनुमोदन के बिना आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया था।

7.2 स्मारकों पर परिरक्षण और संरक्षण कार्य

एएसआई के प्रमुख आदेशों में से एक देश[57] भर में सभी संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव को सुनिश्चित करना है। इन स्मारकों/स्थलों के संरक्षण कार्य से जुड़े मुद्दों पर यहां चर्चा की गई है।

[56] 3.2 किलोमीटर यानी एक कोस की दूरी पर बने मील पत्थर।

[57] एएसआई राज्य सरकारों और अन्य देशों के लिए संरक्षण परियोजनाएं भी चलाता है।

7.2.1 संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति को लागू करना

एएसआई ने प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों और अवशेषों (एनपीसी-एएमएएसआर) के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय नीति के विमोचन (फरवरी 2014) के बारे में पीएसी को सूचित किया था। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 11 सर्किलों[58] में, एनपीसी-एएमएएसआर एक या अधिक महत्वपूर्ण निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था; जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है,

ए. अल्पावधि (दो वर्ष तक), मध्यावधि (दो से पांच वर्ष) और दीर्घावधि (पांच वर्ष और अधिक) निगरानी और रखरखाव योजना तैयार करना;

बी. वर्ष में कम से कम एक बार पुरातत्व अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण;

सी. स्थल प्रबंधन योजना (एसएमपी) की तैयारी;

डी. किए गए संरक्षण कार्य की सहकर्मी समीक्षा;

ई. मानचित्र, चित्र, फोटो, डिजिटल रिकॉर्ड, फील्ड नोट्स के माध्यम से संपूर्ण संरक्षण प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण;

एफ. संरक्षण कार्यों के लिए शिल्पकार की पहचान; तथा

जी. आपदा प्रबंधन के लिए स्मारक प्रभारी को प्रशिक्षण।

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया था कि एनपीसी-एएमएएसआर, 2014, संरक्षण के महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करने वाला एक अच्छी तरह से संरचित दस्तावेज होने के बावजूद, एएसआई द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, औरंगाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, धारवाड़, हम्पी और कोलकाता सर्किलों में, संरक्षण निर्माण कार्यों[59] की योजना में अनियमितताएं और वार्षिक संरक्षण योजना[60] तैयार करने पर भी ध्यान नहीं देना देखा गया था। एनपीसी-एएमएएसआर में निर्धारित संरक्षण प्रक्रिया से कोई विचलन विरासत संरक्षण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। मंत्रालय/एएसआई ने केवल उप-पैराग्राफ 'सी' और 'जी'

[58] दिल्ली, औरंगाबाद, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, भोपाल, जबलपुर, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, धारवाड़ और हम्पी।

[59] वार्षिक रख-रखाव/विशेष रिपोर्ट के लिए स्मारकों का चयन, संशोधित संरक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करने में देरी, स्वीकृत कार्य न करना, लॉग बुक का रखरखाव न करना आदि।

[60] पूर्व सूचना के बिना योजना तैयार करना, अनुमोदन के लिए अनुमान तैयार न करना, उप-मंडलों द्वारा अधिक अनुमान लगाना।

का उत्तर दिया (जनवरी 2022) और कहा कि चयनित डब्ल्यूएचएस के लिए एसएमपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारियों को आपदा प्रबंधन पर आवश्यक प्रशिक्षण के लिए संबंधित एजेंसियों से संपर्क करने के लिए कहा जाएगा।

7.2.2 स्मारकों पर अनुचित संरक्षण कार्य

एनपीसी-एएमएएसआर, 2014 में स्मारक की मूल संरचना और संरचना को बनाए रखने के संबंध में विस्तृत निर्देश शामिल हैं। सभी चयनित राज्यों में स्मारकों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में अनुचित संरक्षण कार्यों, रासायनिक संरक्षण की आवश्यकता वाले स्मारकों, संरचना में किए गए परिवर्तन और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की उपेक्षित स्थिति के एएसआई द्वारा के उदाहरण सामने आए हैं। इन अनुचित संरक्षण कार्यों के उदाहरण **अनुलग्नक 7.2** में दर्शाए गए हैं।

7.2.3 विरासत उद्यानों का प्रबंधन

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, दिल्ली (11), हरियाणा (5), कर्नाटक (18), मध्य प्रदेश (3), महाराष्ट्र (7), ओडिशा (2) और पश्चिम बंगाल (5) राज्यों के 51 स्मारकों में अतिरिक्त वनस्पति के विकास के मामले देखे गए। अनुचित उद्यान प्रबंधन/स्मारकों पर खरपतवार की वृद्धि के उदाहरण **अनुलग्नक 7.3** में दर्शाए गए हैं।

इसके अलावा, एएसआई की बागवानी शाखा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 25 विरासत उद्यानों में से तीन दिल्ली में स्थित हैं। यह देखा गया कि इन विरासत उद्यानों[61] के परिदृश्य की जानकारी संबंधित बागवानी प्रभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। एएसआई ने *मेहताब बाग*, लाल किला, दिल्ली में प्राचीन जल प्रवाह को पुनर्जीवित करने का काम किया था। हालांकि *मेहताब बाग* की पहचान एएसआई ने अपने पुरातात्विक उद्यान के रूप में की थी, संबंधित बागवानी विभाग (दिल्ली सर्किल) इस तरह की किसी भी गतिविधि से अनजान था और इस प्रक्रिया में शामिल नहीं था। यह भी देखा गया कि बागवानी शाखा और सर्किल कार्यालय के

[61] हूमायूं के मकबरे, लाल किले और सफदरजंग मकबरे में स्थित

बीच बागवानी प्रकृति के कार्यों के रूप में समन्वय का अभाव था चूंकि स्मारकों के अन्य भागों में वनस्पति को उखाड़ने, जंगल की सफाई आदि का कार्य सर्किल कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह, बागवानी प्रभाग, मैसूर में, ऐसे उदाहरण देखे गए जहां मण्डल कार्यालय बागवानी शाखा की सहायता के बिना उद्यानों का रखरखाव/विकास कर रहे थे। मंत्रालय/एएसआई ने इसकी रिपोर्ट की स्थिति के कारणों के रूप में (फरवरी 2022) कोविड-19 और मानव संसाधनों की कमी को जिम्मेदार ठहराया। एएसआई ने बताया कि अधिक समन्वय के लिए इसके बागवानी कार्यालयों को सर्किल कार्यालय से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, मेहताब बाग, लाल किला में संरक्षण कार्यों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया कि इसका जल प्रवाह सर्किल कार्यालय द्वारा किए गए संरक्षण कार्य का हिस्सा था।

7.2.4 एस्टाम्पेज का संरक्षण

एस्टाम्पेज पत्थर या तांबे की प्लेट शिलालेखों के कागजी छाप हैं। पुरालेख शाखा द्वारा स्तम्भों को उनके बिगड़ने से रोकने के लिए नियंत्रित वातावरण में संरक्षित किया जाता है। एपिग्राफी शाखा, मैसूर के एस्टाम्पेज स्टोर के दौरे के दौरान, यह देखा गया कि एस्टाम्पेज तापमान और आर्द्रता नियंत्रित वातावरण के तहत संरक्षित नहीं थे।

इस संबंध में, पुरालेख शाखा ने कहा (जनवरी 2021) कि उनकी लंबी दीर्घायु बढ़ाने के लिए अधिक वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित करने के लिए विशेषज्ञों के परामर्श से कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी।

7.3 सुरक्षा और बचाव व्यवस्था

पीएसी ने महत्वपूर्ण स्मारकों और संग्रहालयों के आसपास सुरक्षा और बचाव के प्रबंधन में अन्तर देखा था। *इसने मंत्रालय से सुरक्षा कर्मियों की कमी को दूर करते हुए अपने नियंत्रण में आने वाले सभी स्मारकों और संग्रहालयों के लिए एक व्यापक सुरक्षा नीति विकसित करने की अनुशंसा की। पीएसी ने मंत्रालय से हवाई सर्वेक्षण और आईटी आधारित सुरक्षा के लिए सैटेलाइट कैमरे और अन्य एजेंसियों की स्थापना के लिए इसरो की मदद लेने की संभावना तलाशने को भी कहा था।* मंत्रालय ने एटीएन के माध्यम से प्रस्तुत किया था कि सुरक्षा के लिए इसरो मानचित्र या

उपग्रह कैमरे का उपयोग सुरक्षा उद्देश्य के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। हालांकि, यह नोट किया गया था कि एएसआई ने वेब-आधारित उपयोगिता के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया था जो उपयोगकर्ताओं को इसरो द्वारा तैयार किए गए मानचित्र आधारित सामग्री का पता लगाने की अनुमति देता है।

मंत्रालय ने अपने नियंत्रणाधीन संग्रहालयों (अर्थात स्थल-संग्रहालयों को छोड़कर) के लिए एक व्यापक सुरक्षा नीति जारी की (मार्च 2016)। हालांकि, एएसआई ने सूचित किया (मार्च 2021) कि एएसआई के तहत पुरातात्विक संग्रहालय ज्यादातर सीपीएम के पास स्थित हैं, और तदनुसार, स्मारकों के लिए जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीएम के लिए कार्मिक आवश्यकता के लिए कोई अलग सुरक्षा दिशानिर्देश या मानक नहीं थे।

चयनित स्मारकों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई सुरक्षा और बचाव व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को **अनुलग्नक 7.1** में शामिल किया गया है। मुंबई और औरंगाबाद सर्किलों में, एएसआई ने 192 स्मारकों में से 173 में सुरक्षा कर्मियों को तैनात नहीं किया था। दिल्ली सर्किल में, अपर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के कारण, एएसआई सप्ताह के विशिष्ट दिनों में कुछ टिकट वाले स्मारकों पर जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। कर्नाटक में, तीन सर्किलों (बेंगलुरु, धारवाड़ और हम्पी) में चुने गए 45 स्मारकों में से 26 में सुरक्षा गार्ड नहीं थे। भुवनेश्वर सर्किल में तीन स्मारकों और तीन स्थल-संग्रहालयों पर ही सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। इसी तरह, चंडीगढ़ सर्किल में, हरियाणा सब-सर्किल के तहत कुल 91 सीपीएम में से केवल एक सीपीएम पर सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए थे।

इसके अलावा, लाल किला, नई दिल्ली में स्थित प्रकाशन विभाग के केंद्रीय स्टोर का दौरा करते समय, यह देखा गया कि प्रकाशित स्टॉक को सुरक्षित करने के लिए कोई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।

निष्कर्ष:

- *पीएसी की सिफारिश के आधार पर, एएसआई ने इन स्मारकों के आगंतुकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने 100 स्मारकों में आदर्श स्मारक पहल शुरू की थी।*
- *हालांकि, चयनित स्मारकों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से पता चला कि अधिकांश स्मारकों में, आगंतुकों की सुविधाओं, संरक्षण निर्माण कार्यों, सुरक्षा आदि के प्रावधान सहित स्मारकों के प्रबंधन से संबंधित विचारणीय मुद्दों का समाधान नहीं किया गया था।*
- *एनपीसी-एएमएएसआर में निहित प्रावधानों/अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था।*